

बीकॉम द्वितीय वर्ष

कम्पनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति

1. एक निजी कम्पनी को परिभाषित कीजिये । एक निजी कम्पनी के विशेषाधिकारों और छूटों का वर्णन कीजिये
2. आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धांत का सविस्तार वर्णन कीजिये
3. ऋणपत्र कितने प्रकार के होते हैं , प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिये
4. विमोच्य शोध पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन तथा उसके शोधन सम्बन्धी सन्निधिम की क्या व्यवस्थाएं हे ।
5. संचालक पहचान क्रमांक सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख कीजिये ।
6. कम्पनी सचिव के कर्तव्यों का वर्णन कीजिये ।
7. परामर्शदात्री समिती पर एक टिप्पणी लिखिये
8. शोधन क्षमता की घोषणा पर एक टिप्पणी लिखिये ।
9. सेबी की विभिन्न अधिकारों का वर्णन कीजिये ।
10. साधारण एवं विशेष संकल्प में अन्तर कीजिये ।
11. पार्षद सीमानियम कम्पनी का एक अपरिवर्तनीय चार्टर है । विवेचना कीजिये तथा विषय सामग्री बताइये
12. कम्पनी के ऋण प्राप्त करने के अधिकारी के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान बतलाईये तथा अनाधिकृत ऋण प्राप्त करने के परिणामों का विवेचना कीजिये ।
13. अशंधारियों के बहुमत के प्रभुत्व के नियम तथा इस नियम के अपवादों को समझाईये ।
14. किन किन परिस्थितियों में अधिकरण कम्पनी का समापन आदेश दे सकता । अनिवार्य समापन के सम्बन्ध में वैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिये ।
15. किसी कम्पनी की सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में आप क्या जानते है । संक्षेप में उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों का उल्लेख कीजिये ।
16. एक निजी कम्पनी के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है ।
17. अंशदाता कौन होते है ।
18. कंपनी की सभा कौन बुला सकता है ।
19. लाभांश क्या है ।
20. प्रबंध संचालक से क्या तात्पर्य है ।

Best of luck